राजस्व वाद संख्या:–125/2021
राजस्थान सरकारबनाम मोहनसिंह आदि
निर्णय दिनांक:–03.04.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

विराजमान अधिकारी :–

राजस्व वाद सं.–125/2021

दीपांशु सांगवान,(आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

–वादी

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह,
2. दलीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह,
3. देवीसिंह पुत्र रघुवीर सिंह,
4. भगवान सिंह पुत्र रघुवीर सिंह,

   समस्त जाति राजपूत निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज0
5. शीशराम, हाल संरपच ग्राम पंचायत अड़ूका।
6. लीलाधर पुत्र सुण्डाराम जाति मेघवाल निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
7. महीपाल पुत्र बालचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
8. सुगनचन्द पुत्र बजरंगलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम अड़ूका तहसील सूरजगढ़जिला झुंझुनूं राज0
9. राजेश सैनी पुत्र स्व0 शिवलाल सैनी निवासी डालमिया की ढ़ाणी तहसील सूरजगढ़जिला झुंझुनूं राज0
10. नन्दलाल पुत्र भगवानाराम मेघवाल निवासी ढाणी गुजरान तन अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
11. मन्नेसिह पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी गुजरान तन अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–125/2021
राजस्थान सरकारबनाम मोहनसिंह आदि
निर्णय दिनांकः–03.04.2022

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 धारा 131 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक –03.04.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि भूमि हाल खसरा नम्बर 345 रकबा 5.82 है0 बरानी द्वितीय व हाल खसरा नम्बर 866/94 रकबा 7.23 है0 बरानी द्वितीय ग्राम अडूका का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर राजकीय खाते में अंकित करने का आदेश फरमाया जावें।

(ख) यह कि अन्य सिद्वी बहक वादी हो परन्तु भूलवश चाही जाने से रह गई हो वह भी प्रदान की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये नोटिस जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 01 एवं 04 की और से श्री गोरधन सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया बाद में प्रतिवादीगण संख्या 01,03, एवं 04 की और से श्री संदीप मान एड0 ने वकालतनामा पेश किया बाद में प्रतिवादीगण संख्या 03 की और से अपना वकालतनामा विड्रो कर लिया । अप्रार्थी संख्या 03 बावजुद तामील उपस्थित नही आये, इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। श्री शीशराम हाल संरपच ग्राम पंचायत अडूका,लीलाधर पुत्र सुण्डाराम, महीपाल पुत्र बालचन्द,सुगनचन्द पुत्र बजरंगलाल गुर्जर, राजेश सैनी पुत्र शिवलाल सैनी, नन्दलाल पुत्र भगवानाराम मेघवाल, मन्नेसिंह पुत्र इन्द्राज समस्त ग्राम अडूका की और से श्री लोकेश शर्मा एड0 ने आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश की जो स्वीकार की गई। लाल स्याही से मूल प्रार्थना पत्र में नाम अंकित किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल विभिन्न जमाबंदी, गिरदारी एव नक्शा । बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । बहस में राजपैरोकार ने बताया की धारा 136,131 के तहत समरी ट्रायल किये जाने का प्रावधान है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर न्याय को लम्बित किया जा रहा है अतः श्रीमान जी प्रतिवादीगण का जवाब इतियादी बन्द करते हुए अन्तिम निर्णय सुनाया जावे। श्री लोकेश एड0 ने ग्राम पंचायत की और से बताया की दावा 136,131 भूराजस्व अधिनियम में पेश किया है जबकि कानूनन प्रार्थना पत्र 136 दुरूस्ती का पेश कर चाही गई सिद्वि दावे की प्रार्थना पत्र में तब्दील कर निर्णय किया जाना चाहिए। क्योकिं उक्त प्रकरण जनहित से जुड़ा है गलत रूप से पूर्व में रिकार्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्ती कर समरी ट्रायल में परिवर्तित कर अविलम्ब फेसला किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है । न्यायालय उक्त प्रकरण में अविलम्ब जनहित व प्रकरण के तथ्यो के अनुसार धारा 136 के तहत चाही गई दुरूस्ती किये जाने के आदेश देने के लिए निवेदन किया गया। यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 136 के तहत कार्यवाही प्रार्थना पत्र के आधार पर समरी ट्रायल द्वारा निर्णित किया जाना है जो की रविरा अंक 82 पृष्ठ 07 पर

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

भी वर्णित है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त महत्वपूर्ण निर्णयों से पूर्व उल्लिखित धारा 136 को राज0 भू–राजस्व (द्वितिय संशोधन) अधिनियम, 1955 द्वारा निम्न से प्रतिस्थापित किया गया है:– धारा 136 "गलतियों का शुद्धिकरण"भू–अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतीयों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे। अतः निवेदन स्वीकार किया गया। वकील अप्रार्थीगण 05 लगा0 11 ने निवेदन किया की उक्त भूमियों के रकबा बरारी करते समय नये व पुराने खसरा नम्बरों का रकबा मिलान नही होता है।आप्रार्थी संख्या 01 एवं 04 की और से श्री संदीप मान एड0 ने जावब एवं कुल 35 किता दस्तावेज पेश किये तथा अपने जवाब में बताया की प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा है। राज0 सरकार ही भूमि अधिकारी है और राज0 सरकार का नाम अंकन खातेदारी में नही हो सकता है क्योंकि खातेदार को भूमि अधिकारी को लगान देने का संविदा व लगान का अंकन दर्ज होना आवश्यक है। यह कि पैमाईस सन् 1977–78 में हुई जिसको 42 साल से भी अधिक का समय हो गया। वाद पत्र 42 साल से भी अधिक देरी से होने से खारीज होने योग्य है। तथा यह कि धारा 131 राज0 भ0 राजस्व अधिनियम का दावा में गलत अंकन किया है। क्योंकि नक्शा किश्तवार या नक्शा ट्रेस में संशोधन करने का तथ्य दर्ज नही किया गया और न ही अनुतोष चाहा गया व इस बाबत अधिकार भूमि रिकार्ड आफिसर को ही होते है उक्त अधिनियम की धारा 136 केवल लिपिकिय भुल को सुधारने बाबत है। टिनेन्सी के इन्द्राजाता खत्म करने के बाबत उक्त प्रावधान नहीं है।बहस पर मनन किया गया ।

–:: आदेश::–

उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि प्रकरण जटिल विवाद्यकों से परिपूर्ण है । प्रार्थी द्वारा स्वयं विवादित जमीन का सिमाकंन कर पत्थगढ़ी आदेश सम्बन्धि पालना आदेश दिनांक 05.08.2021 को दिये गये। फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का अडूका दिनांक 01.10.2018 तहसीलदार सूरजगढ़ के आदेश क्रमांक/भू0अ0/18 दिनांक 01.10.2018 की पालना में बिन्दु संख्या 03 में यह स्पष्ट किया है कि उक्त ख0 न0 44 रकबा 7.46 है0 वर्तमान में अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रतिबन्धित भूमि नहीं है। दिनांक 05.08.2021 को उपस्थित माजूद मौतबिरान की माजूदगी में पत्थरगढ़ी करवायी गई जो की फर्द पत्थरगढी के अवलोकन से स्पष्ट होता है।अप्रार्थीगण से रास्ते के लिए जमीन ख0न0 865/94 राजहक में समिर्पित होने उपरान्त प्रार्थी द्वारा रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम की गई है। विभिन्न निर्णय माननीय उपखण्ड न्यायालय चिड़ावा तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भी निर्णय डिक्री इत्यादि पारित किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज स्वीकार किया गया है। पत्थरगढ़ी के दौरान प्रार्थी के द्वारा मौके पर रकबा मिलान उपरान्त पत्थरगढ़ी करवायी गई है परन्तु अप्रार्थी संख्या 05 लगा0 11 के द्वारा खसरा नम्बरान का मिलान न होना बताया गया। सिविल न्यायालय में दावा संख्या 55/1988 में अप्रार्थी संख्या 01 को पक्षकार नहीं बनाया गया जो प्रकरण को और जटिल बनाता है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्थान सरकार राजस्व ग्रप 06 विभाग परिपत्र संख्या प06(12) राजस्थान/6/92/26 जयपुर दिनांक 20.12.1995 अनुसार समरी ट्रायल में गलतियों का सुधार करना नियमित वाद का विकल्प नहीं है, समय की व्यवस्था गलतियों के सुधार के लिए की गई है। परस्पर खातेदारी सम्बन्धि विवाद सक्षम न्यायालयों से निर्णित कराना होगा तथा धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे परिवर्तनों के लिए राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अदालत में वाद दायर करना होगा। सुलतान सिंह बनाम आदराम 2009 आरआरडी 560 के वाद में स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा अनुतोष जो की घोषणात्मक वाद में दिया जा सकता है वह शुद्विकरण की आड़ में मंजूर नहीं किया जा सकता । निर्माण सिंह बनाम लालभर्दप्रताप एआईआर 1926 पीसी 100 अुनसार नामान्तरण कार्यवाही के द्वारा अधिकारों का अन्तिम रूप से निर्धारण नहीं होता, हक के प्रश्न का अन्तिम न्याय निर्णयन तो सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़